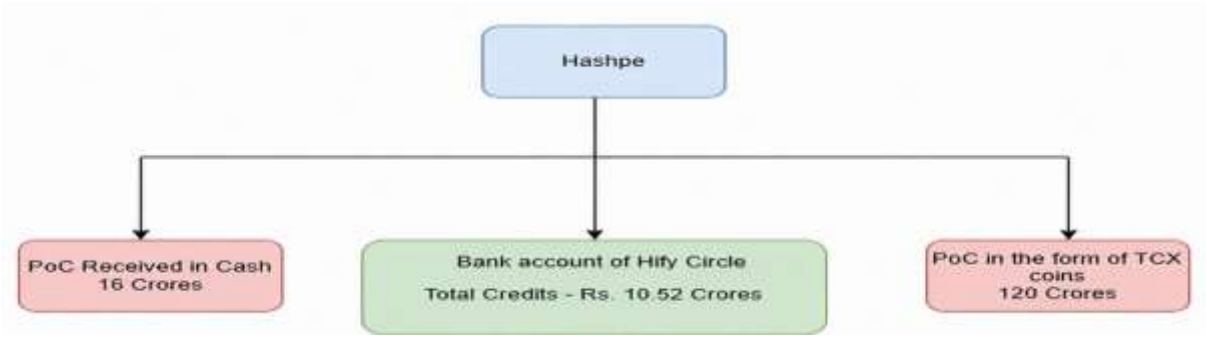
प्रेस विज्ञप्ति
24.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय–II ने हाशपे क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में धन शोधन संबंधी जांच के क्रम में सैयद उस्मान उर्फ बाबू और धामोदरन बालचंद्रन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के अंतर्गत दिनांक 22.09.2026 को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने दोनों को तीन दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ईडी द्वारा जांच पुडुचेरी के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी।

ईडी की जांच से पता चला कि सैयद उस्मान, इमरान बाशा और उनके सहयोगियों ने "हाशपे" के नाम से एक निवेश योजना शुरू की थी, जिसे क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कथित "टीसीएक्स" नामक क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से आकर्षक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। योजना पर विश्वास करने वाले निवेशकों ने बैंक ट्रांसफर, क्रिप्टोकरेंसी और नकद के माध्यम से निवेश किया। सैयद उस्मान, धामोदरन और उनके सहयोगियों ने निवेश योजना को विश्वसनीय दिखाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बॉलीवुड की हस्तियों की उपस्थिति वाले लॉन्च कार्यक्रम और कार पुरस्कार समारोह का आयोजन कर भोले–भाले निवेशकों को आकर्षित किया। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस योजना में रेफरल कमीशन, सोशल मीडिया प्रचार तथा मुंबई में एक क्रूज जहाज पर आयोजित कार्यक्रम का भी उपयोग किया गया।

जांच में आगे पता चला कि नीचे दर्शाए गए तीन प्रमुख माध्यमों से निवेशकों से कुल ₹146 करोड़ की धनराशि एकत्र की गई:



आगे की जांच में पता चला कि सैयद उस्मान ने धामोदरन के साथ मिलकर अपराध से अर्जित आय (पीओसी) के अधिग्रहण, लेयरिंग और डायवर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैयद उस्मान बड़ी मात्रा में नकद निवेश का प्रबंधन करता था। वह हाइफी सर्कल के नाम से धारित बैंक खाते के संचालन में भी शामिल था, जिसका उपयोग निवेशकों की धनराशि प्राप्त करने के लिए किया जाता था। धामोदरन ने हाशपे के सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित कार्यों को विकसित एवं प्रबंधित किया, जिसमें प्लेटफॉर्म के वॉलेट संबंधी कार्य भी शामिल थे।

यह भी पता चला कि अपराध से अर्जित आय को सैयद उस्मान, धामोदरन, उनके परिवार के सदस्यों तथा संबंधित संस्थाओं के व्यक्तिगत बैंक खातों में डायवर्ट किया गया। अपराध से अर्जित आय को क्रिप्टोकरेंसी तथा अचल संपत्तियों में भी निवेश किया गया।

इससे पूर्व, ईडी ने इस मामले में दिनांक 01.09.2026 को चेन्नई, कोयंबटूर और कोलकाता में 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। गिरफ्तार आरोपी इमरान बाशा और हितेश कुमार वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।

